E-mail: director.csfjetsar@gmail.com
Phone: 01498-261261
Phone & FAX: 01498-261233

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963GOI003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसरः जिला-श्रीगंगानगर(राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालयः-बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

पत्राकः के.रा.फा./जैत./कृषि/10-05/2019-20/ दिनांकः 01.04.2019

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय राज्य फार्म, जैतसर जिला-श्रीगंगानगर(राज.) में वर्ष **2019–20** में उत्पादित फसलों की कटाई, गहाई एंव सिल्ला चुगाई तथा नीरा उठाने एवं तूड़ी बनाने के पश्चात खाली हुए चकों / खेतों एंव अन्य समय समय पर खाली होने वाले क्षेत्रों में भेड-बकरी तथा पशु आदि चराने के लिए दिनांकः 23.04.2019 को अपराह्न 2.00 बजे तक खंडवार निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक **23.04.2019** के दोपहर **12:30** तक किया जाएगा। इच्छुक निविदादाता को निविदा मे भाग लेने के लिए अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट /NEFT/ RTGS रुपये 30,000/-(अखरे रुपये तीस हजार मात्र) प्रति खण्ड के हिसाब से, जोकि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष मे, भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला पर देय हो, धरोहर राशि के रुप मे जमा/संलग्न करना होगा (फार्म का खाता नंबर 33963396672, IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) । प्राप्त निविदाओ को उसी दिन अपराह्न 2.30 बजे निविदादाता के समक्ष खोला जायेगा। असफल निविदादाता की धरोहर राशि बाद मे लौटा दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा। निविदा संबंधी नियम व शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे से 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय अथवा निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से प्राप्त की जा सकती है। निविदा मे भाग लेने के लिए निविदा प्रपत्र कृषि कार्यालय से प्राप्त करने के लिए रुपये 200/- का डिमान्ड–ड्राफ्ट, RTGS/NEFT के माध्यम से फार्म के बैंक जमा की रसीद प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ पेन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक का खाता का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

प्रबंधक(उत्पादन)
कृते अपर महाप्रबंधक उत्पादन (फार्म)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

पशु चराई की नियम व शर्तें

1. ठेका लेने वाले को प्रत्येक खंड के लिए धरोहर राशि रुपये 30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट/NEFT/RTGS प्रति खंड के अनुसार जमा करवाना होगा जो कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के नाम से बाजूवाला में देय हो व असफल बोलीदाता को धरोहर राशि सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के पश्चात वापिस कर दी जायेगी एवं सफल बोलीदाता की धरोहर राशि चराई का कार्य संतोषजनक ढ़ग से पूर्ण होने के बाद लौटा दी जायेगी एवं जिस पर ब्याज देय नहीं होगा।
2. सफल निविदादाता के निविदा स्वीकृत होने पर निविदा की कुल राशि का 25 प्रतिशत राशि दो दिन मे जमा करवानी होगी, शेष 75 प्रतिशत राशि अगले सात दिनों के अंदर जमा करानी होंगी। यदि इस अवधि में शेष राशि जमा नहीं हुई तो इसके अतिरिक्त केवल सात दिन तक ही 25 प्रतिशत दर से ब्याज लिया जायेगा, तत्पश्चात भी शेष राशि जमा नहीं होती है तो ठेका रद्द कर दिया जायेगा व धरोहर राशि जब्त कर दिया जायेगा।
3. चराई की अवधि 01 मई 2019 से 30 जून 2020 तक ही होगी, **जहाँ खाली एरिया हो केवल वहीं चराना है।** चराई का समय सुबह 6.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक का होगा। **बीजाई करने वाले एरिया में तुरन्त पशु हटाने होगें।**
4. तुडी बनाने / सिल्ला चुगाई करने व **नीरा उठाने** के बाद **खाली खेतों** में ही पशु चराने हेतु क्षेत्र दिया जायेगा। यदि बिना चुगाई (सिल्ला चुगाई) किए फार्म क्षेत्र में पशु चराते पाये गये तो धरोहर राशि में से नुकसान की भरपाई की जायेगी तथा ठेका भी रद्द कर दिया जायेगा। फसल वाला क्षेत्र जैसे-जैसे खाली होगा, चराई हेतु दिया जायेगा।
5. चराई का कार्य खण्ड प्रभारी / चक प्रभारी के निर्देशानुसार ही करना होगा।
6. पशु/ भेङ-बकरी चराने के लिए साथ आने वाले व्यक्ति फार्म के किसी कर्मचारी, मजदूर के साथ दुर्व्यवहार या झगड़ा नहीं करेगा, ऐसा करने पर ठेका रद्द कर दिया जायेगा। फार्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हथियार जैसे बल्लम, भाला, बंदूक व पिस्तोल आदि की अनुमति नहीं होगी।
7. निविदादाता ठेके को अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का जान-माल का नुकसान होता है, जिसके लिए वह स्वंय जिम्मेवार होगा।
8. निविदादाता ठेके की अवधि के दौरान शिकार करने की सख्त मनाही है। ऐसा करने पर ठेका रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय जिम्मेवार होगा।
9. पशुओं व पशु चराने वालों द्वारा खालों, नहर के पानी को क्षति नहीं पहुंचायेगा। ऐसा होने पर ठेका रद्द कर, धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. ठेकेदार को पशु चराने वालों के नाम व पते फार्म में जमा करवाने होंगे।
11. ठेकेदार के पशुओं अथवा चरवाहों द्वारा फार्म में किसी प्रकार की बिजाई एंव अन्य चल अथवा अचल सम्पति को कोई नुकसान पहुंचाने पर उसके हर्जाने की **राशि** ठेकेदार से भरपाई की जावेगी।
12. **ठेकेदार को पशुओं की चराई के दौरान नए रोपित पौधा का विशेष ध्यान रखना है अगर ठेकेदार के पशुओं/भेड़ –बकरियों द्वारा नये लगाये गये पौधों को नुकसान पहुचाया गया तो पौधो की कीमत रोपित पर आई खर्च की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी।**
13. ठेकेदार प्रत्येक खंड में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पशुओं द्वारा कराई गई जबरन या चोरी से चराई को रोकने का स्वंय जिम्मेवार होगा, इसके लिए फार्म की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी एंव किसी विवाद के लिए ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा।
14. चराई के लिए कृषि अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जायेगा।
15. फार्म के किसी अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, चक प्रभारी व कर्मचारी के मांगने पर चराई करने वाले को कृषि कार्यालय से जारी आदेश की प्रति दिखानी होगी। बिना आदेश के पशु चराई को अवैध माना जायेगा, जिसके लिए उसके खिलाफ समुचित कार्यवाही की जायेगी।

16. जिस प्रक्षेत्र में जुताई व बुवाई की जरुरत होगी, उस खेत की चराई की पर्ची रद्द कर दी जायेगी। क्षेत्र को जोतने से पूर्व दो दिन पहले बता दिया जायेगा।
17. चराई बिना कारण बताये निदेशक फार्म द्वारा रद्द की जा सकती है। चराई का ठेका उसी व्यक्ति को दिया जायेगा जिसका चाल चलन सही व नियम की काली सूची में न हो, काली सूची वाले व्यक्ति अथवा परिवारिक सदस्य(पत्नी व पूत्र) को भी ठेका नहीं दिया जायेगा।
18. यदि चराई पर दिये प्रक्षेत्र फसल की बुवाई व जुताई के लिए उसमें फार्म द्वारा पानी भरवा दिया जाता है या आग लगा दी जाती है तो उसके बदले में न तो दूसरा क्षेत्र चराई के लिए दिया जायेगा और न ही कोई भुगतान देय होगा तथा इस पर निविदादाता की किसी भी मांग / आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

19. **वर्ष 2019–20** की फसलों की कटाई के उपरांत तूड़ी / भूसा बनाने / उठाने एंव सिल्ला चुगाई के बाद ही पशु चराने की अनुमति दी जायेगी।
20. उपरोक्त कार्य के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मामला केंद्रीय राज्य फार्म, जैतसर के निदेशक महोदय को प्रस्तुत किया जायेगा और उसका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।
21. इस ठेके में यदि कोई टैक्स लगता है तो उसे ठेकेदार को देना होगा तथा ठेकेदार को आयकर विभाग से जारी पेन नं. की प्रति जमा करवाना अनिवार्य है।
22. ठेकेदार को रुपये **500/-** का नॉन ज्यूडिशियल स्टांम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
23. सफल निविदादाता द्वारा एक हलफनामा जो कि नोटेरी द्वारा तस्दीक किया गया हो। इस आशय का प्रस्तुत करना होगा जिसमें वर्णित हो कि उक्त ठेकेदार को फार्म अथवा अन्य संस्था द्वारा काली सूची अथवा अवांछित सूची में ज्ञापित नहीं किया गया हो।

प्रबंधक(उत्पादन)
कृते अपर महाप्रबंधक उत्पादन
(फार्म)

E-mail: director.csfjetsar@gmail.com
Phone: 01498-261261
Phone & FAX: 01498-261233

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963GOI003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसरः जिला-श्रीगंगानगर(राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालयः-बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

पत्राकः के.रा.फा./जैत./कृषि/10-05/2019-20/ दिनांकः 01.04.2019

निविदा प्रपत्र

फसलों की कटाई / सिल्ला चुगाई व नीरा उठाने के पश्चात व अन्य खाली क्षेत्रों में व समय समय पर खाली होने वाले क्षेत्रों में पशुओं को चराई करने बाबत् निम्न दर प्रस्तुत भर रहा हूँ जो कि फार्म में जमा करूगाँ।

खण्ड नं.	कुल राशि रुपयों मे
खण्ड नं.-1	
खण्ड नं.-2	
खण्ड नं.-3	

जमा राशि का विवरणः-

डी.डी. नं. /रसीद नं.	

निविदादाता की बैंक खाते का विवरणः-

खाताधारक का नाम	
बैंक का नाम व स्थान	
खाता संख्या	
आई.एफ.एस.सी. कोड	

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नामः- ....

पिता का नामः- ....

गांव व पोस्टः- ....

जिलाः- ....

मो.नं.- ....